

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी(पं०) नैनीताल

सूचना

24 जून, 2025 ई०

पत्रांक 311/पंचास्थानि/त्रिस्तरीय पं०सा०निर्वा-2025/सूचना/2025-राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून की अधिसूचना संख्या 1242/रा०नि०आ०अनु०-2/4324/2025 दिनांक 24 जून, 2025 (छाया प्रति संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि मा०उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा रिट याचिका संख्या 410 (एम०बी०) वर्ष 2025 गणेश दत्त काण्डपाल बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 23.06.2025 को आदेश पारित किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य सरकार द्वारा आरक्षण की नियमावली का प्रख्यापन विधिवत अधिसूचित न होने के कारण उक्त नियमावली के अनुपालन में आरक्षण निर्धारण एवं इसके अनुसार की गई सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गयी है।

राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 1141/रा०नि०आ० अनु०-2/4324/2025 देहरादून दिनांक 21 जून, 2025 क्रम में कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) जनपद नैनीताल द्वारा निर्गत सूचना संख्या 200/पंचास्थानि/ त्रिस्तरीय पं०सा०निर्वा-2025/सूचना/2025 दिनांक 23 जून, 2025 द्वारा जनपद नैनीताल की समस्त ग्राम पंचायतों के सदस्यों, ग्राम पंचायतों के प्रधानों, क्षेत्र पंचायतों के सदस्यों एवं जिला पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन का कार्यक्रम सूचना जारी किया गया था।

उपरोक्त कार्यक्रम में दिनांक 25.06.2025 से दिनांक 28.06.2025 (पूर्वाह्न 08:00 बजे से अपराह्न 04:00 बजे तक) नामांकन एवं तदोपरान्त निर्वाचन का अग्रिम कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। चूंकि मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के आदेश से राज्य सरकार सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही अग्रिम आदेशों तक स्थगित की गई है।

अतः मा० राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहरादून के उक्त अधिसूचना के अनुपालन में जनपद द्वारा निर्गत सूचना संख्या 200/पंचास्थानि/ त्रिस्तरीय पं०सा०निर्वा-2025/सूचना/2025 दिनांक 23 जून, 2025 में विनिर्दिष्ट दिनांक 25.06.2025 से नामांकन की कार्यवाही एवं अन्य कार्यवाहियां अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है।

ह०/-

जिला मजिस्ट्रेट/
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०),
नैनीताल।

टिप्पणी-राजपत्र, दिनांक 05-07-2025, भाग-3 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित-]

पी०एस०यू० (आर०ई०) 05 जिलाधिकारी/327-21-07-2025-10 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)